# V.Mj ukfVl

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, रामपुर द्वारा प्रबन्धित वार्षिक किसान मेला रठौंडा, 2010 की तहबाजरी की वसूली के टेण्डर की उचित बोली प्राप्त न होने एवं दिनाँक 23.01.2010 को जिला पंचायत की बैठक प्रस्तावित होने के कारण पुनः टेण्डर दिनाँक 25.01.2010 (सोमवार) को 3.00 बजे तक अमंत्रित किये जाते हैं जो उसी दिन 3.30 बजे उपस्थित ठेकेदारो के समक्ष समिति द्वारा खोले जायेंगें। टेण्डर फार्म के साथ 100000/— रूपये जमानत की धनराशि नकद तथा चरित्र एवं हैसियत प्रमाण—पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जिन टेण्डरों के साथ चरित्र व हैसियत प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं होगा उन टेण्डरों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। ठेके की समस्त धनराशि नकद जमा करनी होगी। उक्त तिथि को टेण्डर प्राप्त न होने पर पुनः टेण्डर की कार्यवाही क्रमशः दिनांक 30.01.2010 एवं 3.02.2010को उक्तानुसार की जायेगी। टेण्डर से संबंधित सूचना वेवसाइट http:\\rampur.nic.in पर देखी जा सकती है एवं टेन्डर फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। इन्टरनेट से डाउनलोड करने की दशा में फार्म शुल्क 100/— रूपये का बैंक ड्राफ्ट अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रामपुर के पक्ष में टेन्डर फार्म के साथ जमा करना होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रामपुर

## dk;kZy; ftyk iapk;r] jkeiqj

पत्रांक : 1297 /जि0पं0 — दिनांक : 16.01.2010

प्रतिलिपि :
1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस विज्ञापन को इन्टरनेट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संलग्नः— एक सी0डी0
2. संवाददाता, अमर उजाला एवं दैनिक जागरण रामपुर को इस आशय से कि कृपया उपरोक्त टेण्डर नोटिस को एक बार कम से कम स्थान पर शासकीय दरों पर प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की दो प्रति सहित बिल भुगतान हेतु भेजने का कष्ट करें।
3. सम्पादक, दैनिक नाजिम उर्दू, रामपुर को इस आशय से कि कृप्या उक्त विज्ञापन को अपने समाचार पत्र में एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें जिसके भुगतान स्वरूप आपको 500/— रूपये का भुगतान किया जायेगा।
4. मुख्य विकास अधिकार/मुख्यअधिकारी जिला पंचायत रामपुर की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. नाजिर कलेक्ट्रेट, नाजिर विकास भवन, नाजिर जिला एवं सत्र न्यायधीश कार्यालय रामपुर, नाजिर नगर पालिका रामपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद रामपुर।
7. समस्त उपजिलाधिकारी रामपुर।
8. समस्त समबंधित ठेकेदारान को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रामपुर